न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3612/2003/जालौर

1. जगतसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   1/1. कमलकंवर पुत्री स्वर्गीय जगतसिंह पत्नि भगवंतसिंह जाति राजपूत निवासी डोडुआ।
   1/2. हरीसिंह गोद पुत्र स्वर्गीय जगतसिंह जाति राजपूत निवासी तडवा

....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. सांवला पुत्र मेघला **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   1/1. वंदना पत्नि स्वर्गीय सांवला
   1/2. मोवनीया
   1/3. महरदाना
   1/4. पानकी
   1/5. रामुडी
   1/6. मेतकी
   –पुत्र/पुत्रियां सांवला नाबालिग जरिये वंदना बेवा सांवला जाति मेघवाल निवासी तडवा तहसील जालौर जिला जालौर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालौर।

....**उत्तरदातागण**

(2) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3816/2003/जालौर

1. सांवला पुत्र मेघला **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   1/1. वंदना पत्नि स्वर्गीय सांवला
   1/2. मोवनीया
   1/3. महरदाना
   1/4. पानकी
   1/5. रामुडी
   1/6. मेतकी
   –पुत्र/पुत्रियां सांवला नाबालिग जरिये वंदना बेवा सांवला जाति मेघवाल निवासी तडवा तहसील जालौर जिला जालौर।

....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. जगतसिंह **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**
   1/1. कमलकंवर पुत्री स्वर्गीय जगतसिंह पत्नि भगवंतसिंह जाति

राजपूत निवासी डोडुआ।
1/2. हरीसिंह गोद पुत्र स्वर्गीय जगतसिंह जाति राजपूत निवासी तडवा तहसील जालौर जिला जालौर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालौर।

....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
(प्रकरण संख्या 3612/2003)
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री ओंकारलाल दवे, अधिवक्ता, उत्तरदातागण।
(प्रकरण संख्या 3816/2003)
श्री ओ.पी.भट्ट, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, उत्तरदातागण।

निर्णय

दिनांकः– 06–01–2020

यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली शिविर–जालौर द्वारा अपील सं. 122/2001 में पारित एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 19–09–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलों में विधि का एक ही प्रश्न निहित होने के कारण तथा पक्षकारान समान होने से एवं एक ही आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालौर के समक्ष राज्य सरकार ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनियम की धारा 175 के तहत विवादित आराजी खसरा संख्या 420 रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में जगतसिंह व सांवला के विरूद्ध पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में प्रतिवादीगण द्वारा चुनौती देने व प्रतिवादी संख्या 1 जगतसिंह द्वारा प्रतिवाद पत्र पेश किए जाने के कारण विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को वाद में संस्थित किया। विचारण न्यायालय ने वाद का विचारण करते हुए वादी के दावे को आज्ञा दिनांक 07-03-1990 द्वारा खारिज करते हुए प्रतिवादी जगतसिंह का क्लेम डिक्री कर आराजी खसरा संख्या 420 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी जगतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया एवं वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के पारित की वह खातेदार जगतसिंह के द्वारा विवादित आराजी के उपयोग व उपभोग व कब्जे में बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने निर्णय दिनांक 29-10-1992 के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-03-1990 को अपास्त कर प्रकरण को विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि सांवलाराम मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः सांवलाराम के कायममुकाम को रेकार्ड पर लेकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर विचार कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

4. सहायक जिला कलक्टर जालौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-03-1990 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के समक्ष वास्ते राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेंस की कार्यवाही किए जाने बाबत पेश किया गया, जिसे जिला कलक्टर ने आदेश दिनांक 11-11-1991 से अपास्त कर दिया। प्रकरण अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित होने बाद प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा मामले में विचारण प्रारम्भ किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी सांवलाराम के कायममुकाम ने अपना जवाबदावा पेश कर जगतसिंह द्वारा पेश प्रतिवाद पत्र को अपास्त किए

जाने का निवेदन किया। अन्य प्रतिवादी जगतसिंह ने अपना अलग से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर खातेदार की घोषणा चाही गई। दावे, जवाबदावे व प्रतिवाद पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में दादरसी सहित 10 अनुतोष कायम किए। विचारण न्यायालय ने कायम किए सभी विवाद्यकों को पृथक-पृथक विरचित करते हुए उक्त वाद को आज्ञा दिनांक 19-09-2001 द्वारा डिक्री करते हुए प्रश्नगत आराजी वर्तमान खसरा संख्या 1476 रकबा 1-23 हैक्टर व खसरा संख्या 1477 रकबा 2-90 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय को बहक राज्य सरकार के आधिपत्य में अधिग्रहित कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध सांवला ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-05-2003 द्वारा निरस्त करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली शिविर-जालौर द्वारा पारित उक्त एक ही निर्णय से व्यथित होकर कमलंकवर व वंदना अपीलार्थीगण ने हस्तगत दोनों पृथक-पृथक अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. अपील संख्या 3612/2003 के अपीलार्थीगण एवं अपील संख्या 3816/2003 के उत्तरदाता ने बहस में कहा कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को उपलब्ध रेकार्ड तथा प्रावधानों के विपरीत होना प्रकट किया। उनका कहना है कि राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी सम्वत 2012-2016 के अनुसार अपीलार्थीगण की काश्त दर्ज है। आगे बताया कि दावा संख्या 201/1959 के अनुसार न्यायालय ने अपीलार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया, जिस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने मियाद से बाधित वाद पेश किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार व सांवलाराम ने किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की है। यहीं नहीं सांवलाराम द्वारा पूर्व में निर्णित वाद में की गयी स्वीकारोक्ति से वह पांबद है। आगे बताया कि अपीलार्थीगण काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से आराजी पर काबिज काश्त है, अतः

इस कारण उन्हें स्वतः ही आराजी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है। यह भी कहा कि अपीलार्थीगण का प्रश्नगत रकबे पर गत 30 वर्षो से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–05–2003 एवं न्यायालय सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–09–2001 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

7. अपील संख्या 3816/2003 में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं अपील संख्या 3612/2003 के उत्तरदाता ने मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधि विरूद्ध होना बताया है। आगे बताया कि प्रश्नगत रकबा उनकी खातेदारी में होकर कब्जेकाश्त की भूमि है। आगे बताया कि मामले में किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने तथ्यों व विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रश्नगत भूमि को सिवायचक घोषित करने में नैसर्गिक न्याय व विधि के प्रावधानों की अवहेलना की है। जबकि प्रश्नगत भूमि के संबंध में काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं था। उनका आगे कहना है कि विचारण न्यायालय का यह मानना गलत है कि जगतसिंह का प्रश्नगत रकबे पर कब्जा है। अगर इस संबंध में कोई राजीनामा भी हुआ हो तो वह कानून की दृष्टि से शून्य प्रभावी है क्योंकि भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम से है। उनका तर्क है कि उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में धारा 175 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर वाद अत्यन्त रूप से मियाद से बाधित है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–05–2003 एवं न्यायालय सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–09–2001 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

8. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण व अध्ययन किया है।

9. हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि प्रश्नगत रकबा आराजी खसरा संख्या 420 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में जगतसिंह को शिकमी काश्त दर्ज कर दिया, जिस कारण अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं? उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जालौर ने धारा 175 का प्रार्थना पत्र इस आशय का न्यायालय के समक्ष पेश किया कि प्रश्नगत रकबा सांवला की खातेदारी का है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है। इसके अतिरिक्त सांवला द्वारा उक्त आराजी को जगतसिंह को काश्त पर दी है, जो कि सवर्ण जाति का सदस्य है, इस कारण मामले में धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में धारा 175 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार जगतसिंह को प्रश्नगत रकबे से बेदखल कर आराजी को रकबाराज घोषित किया जावे। उक्त बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए सांवला व जगतसिंह ने आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा गया। रेकार्ड के अनुसार प्रश्नगत रकबा प्रथम बंदोबस्त से पूर्व सांवला की खातेदारी में दर्ज था, जिसके पूर्व खसरा नम्बर 846 थे। यह पटटा ठिकाणा जोधपुर गवर्नमेंट से स्पष्ट होता है। प्रश्नगत रकबा प्रथम बंदोबस्त के दौरान खसरा संख्या 420 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा कायम किया गया। प्रथम बंदोबस्त के बाद जमाबंदी सम्वत 2020-2023, 2024-2027, 2028-3031, 2031-2035, 2035-2039 तथा 2037-2042 में भूमि सांवला भाम्बी के नाम खातेदारी में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है। सम्वत 2012-2015 की खसरा गिरदावरी के अनुसार जगतसिंह के नाम दर्ज है। इससे पूर्व यह आराजी सावंला की खातेदारी में दर्ज थी। सम्वत 2012 के समय प्रश्नगत रकबे पर जगतसिंह द्वारा काश्त किए जाने के कारण सावंला ने उसके विरूद्ध वाद पेश किया। जिस वाद में दिनांक 07-04-1961 को राजीनामा निष्पादित हुआ। उक्त राजीनामे के अनुसार प्रश्नगत रकबा जगतसिंह की खातेदारी में रहने का अंकन है।

रेकार्ड से यह प्रतीत होता है कि उक्त राजीनामे का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है।

10. रेकार्ड में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 17-08-2001 में अंकन है कि इस आराजी पर गत 6-7 वर्ष से किसी का कब्जाकाश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पडत है। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार जालौर ने सावंलिया के वारिसान को आराजी का कब्जा तो सुपुर्द कर दिया किन्तु रिपोर्ट के अनुसार सावंला के वारिसान आराजी पर काबिज नहीं है। यह भी रेखांकित होता है कि राजस्व अभियान के दौरान आनन-फानन में कब्जा दिए जाने की उक्त कागजी कार्यवाही अमल में लाई गई है। अतः उक्त कागजी कार्यवाही का मामले में कोई वैधानिक आधार नहीं है। क्योंकि आराजी जरिये राजीनामा सावंला द्वारा जगतसिंह को अन्तरित कर दी गई थी। सम्पूर्ण अभिलेख से यह प्रदर्शित होता है कि आराजी का खातेदार अनुसूचित का सदस्य सांवला था जो बंदोबस्त व बंदोबस्त से पूर्व इस आराजी काश्तकार खातेदार था। इसके अतिरिक्त जगतसिंह व अन्य द्वारा सम्वत 2012 में इस पर जबरन कब्जा कर लिया गया। प्रश्नगत रकबा जो अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी का था जिस पर खातेदार सांवला की सहमति से जरिये राजीनामा के जगतसिंह को अन्तरित की गई व इस अन्तरण के कारण आराजी में कब्जेकाश्त का प्रभाव हुआ। अतः मामले में धारा 42-बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होना परिमाणित होता है। इस प्रकरण में जगतसिंह ने जरिये प्रतिवाद पत्र प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है। इस क्रम में विधायिका की भावना के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर धारा 42-बी के उल्लंघन में ऐसे प्रकरणों में खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. हमारे समक्ष दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों व पारित किये गये निर्णयों के प्रकाश में हमारे द्वारा सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त हम पाते है कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। सारांशतः प्रकरण में दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत निष्कर्ष है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय दोनों अपीलें सारहीन/बलहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि वर्तमान अपीलों में अपीलार्थीगण ने असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों द्वितीय अपीलें सारहीन/बलहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली शिविर–जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 07–05–2003 एवं सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–09–2001 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य